

NOC LETTER

Registration no. (22213082021924130201) Date (0) Valid till (0)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BEGUSARAI
शिक्षा विभाग, विहार राज्य, बिहार



पत्रांक - 1473

प्रमाण पत्र फैलोन - ०१.०७.२०२२

संदर्भ में

शिक्षा / आवश्यक / प्रबन्धक

ST JOSEPH ACADEMY

RAGHUNANDANPUR

स्थिति - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education RTI), 2009 की धारा 18 के प्रयोगनार्थी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 3) अन्तर्विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।


महामाल

आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2021 और उसमें ज्ञान में आपसे जिन्हें गधे प्राचाराव एवं विद्यालय के किंचित् गए निरीक्षण एवं जिला सारीप विसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक 0 में किंचित् गए नियंत्रण के आलोक में आपके विद्यालय ST JOSEPH ACADEMY, RAGHUNANDANPUR, RAGHUNANDANPUR, 851133 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 0 से 24.9.2024 अधिक के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्तीकृति नियम शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

- प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोस के कमजोर रूप एवं अताभकारी सम्पूर्ण के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कठिका 3 में उल्लिखित बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अतंग से वैकल्पिक रूप से संधारण करेगा।
- सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप प्रमाण पत्र के अनुपत्वात् नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय के द्वारा नियम कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। :

- किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुहृष्ट प्रिया आसान ACADEMY Raghunandanpur, Teghra,


Principal
Manager

Principa
Manager
Raghunandanpur, Teghra,

8. विद्यालय के सभी संस्कृति और सभी अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
9. विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
10. विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (i) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (ii) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (iii) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (iv) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (v) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (vi) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (vii) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (viii) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (ix) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (x) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (xi) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (xii) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (xiii) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (xiv) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (xv) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
- (xvi) विद्यालय के सभी अधिकारियों की जाति व जीवनशैली के आदर्शों में अवधारणाएँ विद्यालय के अनुच्छेद के अनुसार होंगी।
11. बोर्ड भी अपर्याप्त अधिकारियों की विद्यालय के अधिकारियों के नाम से संबंधित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अधिकारियों का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीड़ा विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वित सोसाईटी के द्वारा अधिकारियों की विद्यालय के अधिकारियों के नाम से संबंधित नहीं होगा।
14. विद्यालय विद्यालय की अधिकारियों के लाभ के लिए संबंधित नहीं होगा।
15. लेखा का अकेलूत एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता रिकॉर्ड अधीकारियों को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवटित प्रस्तीकृति लोड सख्ता [22213082021924130203, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्राचार करने में इस कोड को अकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिता शिक्षा पटाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अधिकारियों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निवधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में सत्य अन्य शर्तें

Principal
ST. JOSEPH ACADEMY
Raghunandanpur, Teghra,
Begusarai-851133
Affiliation Code : 330733
School Code :- 65731

दिल्ली सभी जन
५०/-

M. J. S. A.